

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.19(1465)परि/लेखा/आं.जां./2015-16 /17411

जयपुर, दिनांक: 4.9.15

कार्यालय आदेश सं. 33/2015

विभागीय आदेश क्रमांक प.19(2292)परि/लेखा/आं.जां./99-2000/दि. 14.11.2003 एवं कार्यालय आदेश सं. 75/2003 में आंशिक संशोधन करते हुए विभागीय निरीक्षण दलों द्वारा प्रस्तुत आंतरिक जांच प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने से पूर्व जांच रिपोर्ट में दिए गए आक्षेपों के तथ्यों का विश्लेषण एवं दोष कारित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित करने के लिए निम्नांकित अधिकारियों की समिति गठित की जाती है:-

1. अपर परिवहन आयुक्त (कर) -सदस्य
2. अपर परिवहन आयुक्त (नियम) -सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार -संयोजक

उक्त समिति आंतरिक जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर रिपोर्ट प्राप्त के 15 दिवस के अंदर जांच प्रतिवेदन को अनुमोदित कर परिवहन कार्यालयों को अनुपालना हेतु जारी किया जाना सुनिश्चित करेगी।


Sd- /
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांक: प. 19(2291)परि/लेखा/आं.जां./ 17412-16

जयपुर, दिनांक: 04-9-2015

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त
2. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार
3. अति. परिवहन आयुक्त (कर/नियम) मुख्यालय
4. लेखाधिकारी (प्रथम/द्वितीय/स्टोर)
5. रक्षित पत्रावली


वित्तीय सलाहकार